कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य / साप्र–II / डी–2 / मरम्मत / 3517 / 2021–22 / 211 दिनांक– 14/03/2023

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, राजस्थान।

विषय– राजकीय विद्यालयों / कार्यालयों भवनों के लिये सत्र 2023–24 हेतु भवन मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

विभाग में राजकीय विद्यालयों / कार्यालयों भवनों के लिये सत्र 2023–24 हेतु भवन मरम्मत हेतु प्रस्ताव चाहे जा रहे है, इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की अमल में लायी जानी हैं–

1. राजकीय विद्यालय / कार्यालय में किस कार्य की मरम्मत प्राथमिकता से करवाई जावें, इसका निर्धारण संस्था प्रधान द्वारा शाला प्रबन्धन एवं विकास समिति के माध्यम से व्यवहारिक रूप से किया जाकर संस्था प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि सत्र 2023–24 हेतु विद्यालय में मरम्मत योग्य कार्यों की पहचान सूची तैयार कर शाला विकास एवं प्रबन्धन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। राज्य सरकार के संसाधनों को ध्यान मे रखते हुए निम्नांकित कार्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है:–

क्र.स.	प्राथमिकता मरम्मत कार्यों हेतु
1.	कक्षा–कक्षों के क्षतिग्रस्त श्यामपट्ट
2.	छात्र–छात्राओं के पृथक शौचालय / वॉशरूम / टॉयलेट इत्यादि
3.	कक्षा–कक्षों की लिकेज शुदा छत / पट्टियों में दरार
4.	विद्यालय भवन सुरक्षा के संदर्भ में टूटी / क्षतिग्रस्त दीवार / गेट
5.	वास्तु धरोहर महत्व के पुरातन भवन / कक्ष इत्यादि
6.	कक्षा–कक्षों की टूटी हुई खिड़कियां और फर्श
7.	पेयजल हेतु निर्मित टंकी / टांका / प्याऊ इत्यादि
8.	कम्प्यूटर / विज्ञान प्रयोगशालाएँ
9.	रैम्प इत्यादि
10.	वर्षा जल संरक्षण स्त्रोत

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

2. बिन्दु संख्या–01 के अनुरूप कार्यों का विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के माध्यम से आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के कार्यालय में कार्यरत तकनीकी अधिकारी के माध्यम से आवश्यक (तकमीना) तकनीकी अनुमान / लागत का विवरण संबंधित तकनीकी अधिकारी से तैयार करवाकर शाला / संस्था प्रधान द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अंत में निदेशालय में प्रेषित किए जाएगें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि शाला / संस्था प्रधान निदेशालय को सीधे ही प्रस्ताव प्रेषित ना करें बल्कि सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही निदेशालय को मरम्मत के प्रस्ताव प्रेषित करावें। शाला / संस्था प्रधान द्वारा निदेशालय को सीधे ही प्रस्ताव प्रेषित करने पर स्वीकार नहीं किए जाएगें।

शाला / संस्था प्रधान तकनीकी अनुमान की कार्यवाही से पूर्व अपने स्तर पर स्थानीय आधार पर अनुमानित लागत / व्यय का भी आवश्यक रूप से विवरण अंकित करें ताकि तकनीकी अनुमान में तकनीकी अधिकारी को स्पष्ट आधार प्राप्त हो सकें।

तकनीकी अधिकारी संबंधित विद्यालय का निरीक्षण करने के पश्चात् ही तकनीकी अनुमान तैयार कर संस्था प्रधान को उपलब्ध करवाएगें अन्यथा नहीं।

3. उक्त कार्यवाही के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निम्नांकित समय सारणी उपयोग में ली जाएगीः–

(1)	शाला/संस्था प्रधान द्वारा मरम्मत सम्बन्धी कार्यो का चिन्हीकरण करना	22 मार्च 2023 से
(2)	चिन्हीकरण पश्चात विद्यालय विकास समिति की बैठक कर आवश्यक प्रस्ताव पारित करवाना	31 मार्च तक
(3)	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को तकनीकी अनुमान हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करना	17 अप्रेल तक
(4)	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा तकनीकी अनुमान तैयार कर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना	01 मई तक
(5)	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशालय में समेकित प्रस्ताव प्रेषित करना	10 मई तक

नोटः–(1) केवल राजकीय भवनों में संचालित विद्यालयों के ही मरम्मत प्रस्ताव स्वीकार योग्य होगे। किराये के भवनों में संचालित के नहीं। यदि किसी दानदाता द्वारा भवन राज्य सरकार को समर्पित कर दिया गया है एवं नामकरण के संबंध में सक्षम स्वीकृति जारी होने के पश्चात् ही उन विद्यालयों में भी मरम्मत के कार्य करवाएं जा सकेगें।

(2) शाला/संस्था प्रधान द्वारा अपने प्रस्ताव मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को संलग्न प्रपत्र में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने होगें जिनकी एक प्रति मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रहेगी, दूसरी प्रति मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं तीसरी प्रति निदेशालय प्रेषित की जाएगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा समेकित प्रस्ताव तैयार किये जाकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित किए जाएंगे।

(3) उक्त एवं संलग्न प्रपत्रानुसार केवल मरम्मत के प्रस्ताव ही भिजवावें, नव निर्माण के नहीं।

(4) प्रस्ताव भिजवाते समय उक्तानुसार समयावधि का विशेष ध्यान रखा जावे जिससे आवश्यक राशि राज्य सरकार से स्वीकृत करवाई जा सके।

4. उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद भवन अनुभाग द्वारा तकनिकी समिति (जिसमें संयुक्त निदेशक–प्रशासन, सहायक अभियंता–समग्र शिक्षा, अनुभाग अधिकारी–भवन अनुभाग एवं एक अन्य सदस्य) की समीक्षा एवं अभिशंषा पश्चात् संयुक्त निदेशक–प्रशासन के हस्ताक्षर द्वारा वित्तीय प्रावधान हेतु वित्तीय सलाहकार को आवश्यक अनुमोदित प्रस्ताव भिजवाया जाकर आवंटन सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

संलग्न–प्रपत्र

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि मय प्रपत्र निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजस्थान।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
3. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग, कार्यालय हाजा को शाला दर्पण पर जारी करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रपत्र

राजकीय शाला/कार्यालय भवनों की मरम्मत हेतु भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों का प्रपत्र

जिला.. तहसील................................ ऑफिस आइ0डी0..................................

1	संस्था/विद्यालय का नाम	
2	प्रस्तावित मरम्मत कार्य का विवरण (प्रस्ताव संलग्न करें)	
3	अनुमानित लागत राशि (तकनीकी अधिकारी के अवमान की प्रति लगावें)	
4	भवन सा.नि.वि. की सूची में है अथवा विभागीय सूची में है?	
5	भवन के राज्याधीन एवं विभाग की सूची में शामिल का वर्ष	
6	भवन शहरी क्षेत्र में स्थित है या ग्रामीण क्षेत्र में?	
7	विशेष विवरण	

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

गत तीन वर्षों में मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि का वर्षवार विवरण

वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि का विवरण	समर्पित राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने की तिथि
2020–21					
2021–22					
2022–23					

संलग्नः–तकनीकी अनुमान एवं
एसडीएमसी प्रस्ताव

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर
लैण्डलाईन नम्बर –
मोबाईल नम्बर –

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा की अभिशंषा

उक्तानुसार मरम्मत प्रस्ताव में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की गई है। उक्तानुसार मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत करने की अभिशंषा की जाती है।

दिनांक

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–समग्र शिक्षा
(हस्ताक्षर मय मोहर)
लैण्डलाईन नम्बर --
मोबाईल नम्बर –